13-7-2021 पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। प्रतिवादी कैलाश कुमार माली पुत्र श्री छैलाराम, जाति– माली, निवासी– सुखधाम कॉलोनी, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भाग्यलक्ष्मी स्वीट एण्ड बेकरी, मेन मार्केट, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी कैलाश कुमार माली ने अनुरोध किया कि प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 27.7.2021 को उसे आवश्यक कार्य [illegible] जाना है, इसलिये [illegible] की सुनवाई आज ही करावे। जिस पर पत्रावली आज दिनांक 13.7.2021 को सुनवाई हेतु रखी गई। प्रकरण में

......लगातार

Kailash mali
13/07/21

[illegible] मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:38 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.35/2021	नम्बर व तारिख अहकाम ... इस हुक्म कोतामिल में जारी हुए

प्रतिवादी कैलाश कुमार ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 28.10.2020 को मेरी फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस खोया का नमूना जांच के लिये लिया गया था, जो जांच रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। मैनें हमारी दुकान में जिस देवासी से खोया खरीदा था वह फीका कहकर ही लिया था. उसने भी फीका कहकर ही दिया था। शायद जिस कढाई में फीका मावा निकाला गया था उससे पूर्व उसमें मीठा मावा तैयार किया था जिसके कारण फीके मावे में शुगर/चीनी की कुछ मात्रा रह गई जिसका कारण मावे में चीनी का कुछ अंश पाया गया। अब मैनें उससे मावा लेना बंद कर दिया है एवं स्वयं दूध लेकर फीका मावा उपयोग हेतु तैयार करना शुरु कर दिया है। मैं अपनी गलती/जुर्म स्वीकार करता हूँ, भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करुंगा। यह मेरी प्रथम गलती है, इसलिये इस प्रकरण को समाप्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी कैलाश कुमार माली की ओर से उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी कैलाश कुमार माली की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने तमाम निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी कैलाश कुमार माली ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2020 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म भाग्यलक्ष्मी स्वीट एण्ड बेकरी, मेन मार्केट, पिण्डवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी कैलाश कुमार माली पुत्र श्री छैलाराम, जाति– माली, निवासी– सुखधाम कॉलोनी, पिण्डवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खोया बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ खोया के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु [illegible] की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना गवाह के सम[illegible]पत्र में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अ[illegible]री ने दुकान के अन्दर डीप फ्रिज में [illegible] की तरह

........लगातार

Signature Not Verified
Digitally sighed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12.41.38 IST
Reason: SelfAttested

...सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.35/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए खोया में [illegible] खोया को एक साफ, सूखी, खाली भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 180/– (रुपये एक सौ अस्सी मात्र) विक्रेता कैलाश कुमार को नकद अदा कर खरीर रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा खोया को चार साफ सूखी, खाली शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर इन चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ खोया के नमूना संख्या S-1200 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./583/Act/2020/611 दिनांक 05.11.2020 के अनुसार असुरक्षित खाद्य एवं अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी कैलाश कुमार माली द्वारा खाद्य पदार्थ खोया के नमूनें की रेफरल लेब से जांच कराने हेतु अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर खाद्य पदार्थ खोया के नमूने को जांच हेतु रेफरल लेब में भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा खाद्य पदार्थ खोया का प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट Certificate No.56F/FSSA/2021 दिनांक 19.2.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ खोया का नमूना संख्या S-1200 अमानक (Substandard) खाद्य पदार्थ पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी कैलाश कुमार माली ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी कैलाश कुमार माली पुत्र श्री छैलाराम, जाति– माली, निवासी– सुखधाम कॉलोनी, पिण्डवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य पदार्थ एवं मालिक, फर्म भाग्यलक्ष्मी स्वीट एण्ड बेकरी, मेन मार्केट, पिण्डवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी कैलाश कुमार माली [illegible] किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का [illegible] बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला [illegible]ट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft [illegible] का भुगतान सिरोही शहर में

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

[illegible] सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.35/2021	नम्बर तारीख अहद जा इस हुक्म कीतामिल्स से जारी हुए
	प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 04.8.2021 को पेश हो। 13/7/2021 (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:38 IST
Reason: SelfAttested